(550)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

[illegible] 18(30)नविवि / एनएएचपी / 2014पार्ट   जयपुर, दिनांक 24 JUL 2017

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3ए में आवासीय इकाईयों के आवंटन के लिये प्रोजेक्ट अनुमोदन से 60 दिवस की अवधि में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाता है। उक्त प्रावधान में निम्न बिन्दु जोड़े जाने का सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निर्णय लिया गया है :–

"यदि निर्धारित अवधि में परियोजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की संख्या से कम आवेदन प्राप्त होते है तो प्राप्त आवेदकों को आवंटन किये जाने के पश्चात् शेष आवासों का आवंटन विकासकर्ता को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर करने हेतु अधिकृत किया जाता है तथा विकासकर्ता को आवंटन के पश्चात् आवंटियों की सूची एवं आवेदन पत्र की प्रति संबंधित नगरीय निकाय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने होंगे।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

24/7/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

24/7/17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम